



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37()पंरावि/प्र.2/मंत्रा/स्था-पद/2018/725 जयपुर दिनांक: 06.03.2019

:: आ दे श ::

निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री	कहां से	कहां को
1	कमलेश वैष्णव	पंचायत समिति कोटडी (भीलवाडा)	पंचायत समिति सहाडा (भीलवाडा)
2	विमला देवी धोबी	पंचायत समिति कोटडी (भीलवाडा)	पंचायत समिति बिजोलिया (भीलवाडा)
3	मसूद खां	पंचायत समिति धोलपुर (धोलपुर)	पंचायत समिति आमेर (जयपुर)
4	पुरुषोत्तम दास पुत्र श्री किशनलाल	पंचायत समिति करणपुर (श्रीगंगानगर)	पंचायत समिति सेडवा (बाडमेर)
5	दीपा कंवर	पंचायत समिति देचू (पाली)	पंचायत समिति शेरगढ (जोधपुर)

नोट :-

1. संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों का संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान कर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है, तो उक्त आदेश संबंधित कार्मिक पर प्रभावी नहीं होंगे।

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संयुक्त सचिव(जीवी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर को उनकी अ.शा.टीप क्रमांक एम-43, दिनांक 01.02.19 के क्रम में प्रस्तुत है।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा/धोलपुर/गंगानगर/पाली/जयपुर/बाडमेर/जोधपुर।
5. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करने बाबत।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित
7. संबंधित कार्मिक, द्वारा संबंधित पंचायत समिति।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त